देश देशांतर : एक देश-एक चुनाव

संदर्भ

एक देश-एक चुनाव को लेकर देश में चर्चा चल रही है कुछ राजनीतिक दल इसके पक्ष में हैं तो कई इसके खिलाफ और कुछ अन्य दलों ने अभी इस पर अपनी राय ज़ाहिर नहीं की है। 1951 से 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। लेकिन उसके बाद राज्य सरकारें अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले ही गिरने लगीं और गठबंधन टूटने लगे और फिर देश में विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव अलग-अलग कराए जाने लगे। अब पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी ने एक साथ चुनाव कराने को लेकर अपनी राय जताई है। तर्क है कि इससे देश का समय और पैसा बचेगा और साथ ही अलग-अलग चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया बाधित हो जाती है। क्योंकि आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों पर असर पड़ने लगता है। वहीं, चुनाव आयोग के अनुमानों के मुताबिक लोकसभा, विधानसभा चुनावों पर करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च किये जाते हैं।

पृष्ठभूमि

देश में पहले भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं। पहली चार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ हुए थे। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के अनुसार, 1967 के बाद स्थिति ऐसी आई कि चौथे आम चुनाव (1967) के बाद राज्यों में कान्ग्रेस के विकल्प के रूप में बनी संविद (संयुक्त विधायक दल) सरकारें जल्दी-जल्दी गिरने लगीं और 1971 तक आते-आते राज्यों में मध्यावधि चुनाव होने लगे। 1969 में कान्ग्रेस का विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी ने 1971 में लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी, जबकि आम चुनाव कराए जाने के लिये एक वर्ष का समय शेष था। इस प्रकार पहली बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने का सिलसिला पूर्णत: भंग हो गया।

एक देश-एक चुनाव प्रणाली कितनी महत्त्वपूर्ण?

- चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में एक साथ कराना संभव नहीं है| इसके लिये कानूनी प्रक्रिया है जिसे सरकार को पूरा करना पड़ेगा|
- एक साथ चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिये सुविधाजनक है| चुनावी खर्चों को बचाने के लिये तीन बार के बजाय एक बार चुनाव होना चाहिये| यदि वोटर, पोलिंग बूथ, मशीनरी चलाने वाला तंत्र और सिक्योरिटी एजेंसी के लिहाज से देखा जाए तो मतदाता के लिये यह सुविधाजनक होगा|
- लेकिन क्या चुनाव आयोग की सुविधा ही प्रजातंत्र में महत्त्वपूर्ण हो सकती है? इसके लिये अन्य कारकों पर भी गौर करना होगा| स्वस्थ प्रजातंत्र का होना ज़रूरी है और इस बात को ध्यान में रखकर ही मॉडल बनाए जाने चाहिये|
- भारत की संरचना संघीय है| पहले तीन चुनाव एक साथ कराए गए थे लेकिन इस पर भी विचार किया जाना चाहिये कि बाद में चुनाव एक साथ होने बंद क्यों हुए थे| वर्तमान समय में भी इसप्रकार के हालात उत्पन्न हो सकते हैं|
- यदि एक साथ सारे चुनाव करा दिये जाएँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि सरकारें नहीं गिरेंगी| उदाहरण के लिये वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में ही गिर गई थी| ऐसी सूरत में 28 राज्यों में बहुमत के साथ आईं सरकारों का क्या होगा|
- कुछ सांसदों द्वारा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की स्थिति में यदि लोकसभा में सरकार गिर गई तो सारे देश में उथल-पुथल की स्थिति उत्पन्न होगी जो देश हित में नहीं होगा|
- यही वज़ह है कि प्रधानमंत्री ने इस विषय पर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता पर बल दिया है| जब तक इस विषय पर आम सहमति नहीं होगी तब तक आगे कदम नहीं उठाया जा सकता|

मतदाता के नज़रिये से एक चुनाव का विकल्प कितना महत्त्वपूर्ण है?

- यह ऐसा सवाल नहीं है जिसे पहली बार उठाया गया हो| इस सवाल को पहले भी उठाया जा चुका है| इस पर बहस भी हुई है| इस विषय पर विधि आयोग ने पहले भी अपने विचार व्यक्त किये हैं|
- वर्ष 2015 में संसदीय स्थायी समिति ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं| समिति ने बीच का रास्ता निकालने का सुझाव देते हुए कहा था कि ऐसे विधानसभा जिनके चुनाव 6 महीने के अंदर होने वाले हैं, उनके लिये एक प्रावधान किया जा सकता है कि इनका चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ करा दिया जाए| लेकिन यह सुझाव व्यावहारिक नहीं लगता|
- एक देश-एक चुनाव के पक्ष एवं विपक्ष में अपने-अपने तर्क है और जो तर्क हैं वह बहुत मज़बूत हैं|

विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट

- विधि आयोग ने वर्ष 1999 में दी गई अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन किया था। चुनाव

सुधारों पर वधिआयोग की इस रपिोर्ट को देश में राजनीतकि प्रणाली के कामकाज पर अब तक के सबसे व्यापक दस्तावेज़ों में से एक माना जाता है।

- इस रपिोर्ट का एक पूरा अध्याय इसी पर केंद्रति है। राजनीतकि व चुनावी सुधारों से संबंधति इस रपिोर्ट में दलीय सुधारों पर भी काफी बल दयिा गया है। राजनीतकि दलों के कोष, चंदा एकत्रति करने के तरीके और उसमें अनयिमतिताएँ तथा इन सबका राजनीतकि प्रक्रयिाओं पर प्रभाव आदकिा भी इस रपिोर्ट में वश्लिेषण कयिा गया है।
- आज ईवीएम में नोटा (NOTA) का जो वकिल्प है, इसकी सफिारशि भी वधिआयोग ने अपनी 170वीं रपिोर्ट में 'नकारात्मक मतदान की व्यवस्था लागू करने' की बात कहकर की थी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के नर्दिेश पर यह वकिल्प मतदाताओं को दयिा गया।

टीम दृष्टइिनपुट

इच्छा शक्तति था व्यवहार्यता

- इसमें दो चीजों पर जोर दयिा जाना चाहयिे पहला इच्छा शक्ति(desirebility) तथा दूसरा व्यवहार्यता या औचत्यि (feasibility)| यदइिच्छा शक्ति की बात करें तो यह बलि्कुल ठीक है कएिक मतदाता एक ही मतदान केंद्र पर जाकर एक ही बार में तीन व्यक्तयिों का चुनाव कर लेगा| यह उसके लयिे सुवधिाजनक भी होगा क्योंकउिसे बार-बार मतदान केंद्र पर नहीं जाना पड़ेगा|
- लेकनि हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहयिे कमितदाता जब मतदान के लयिे जाता है और अपने मताधकिार का प्रयोग करता है तो वह एक ही समय में वोट डाल रहा होता है| इससे कहीं-न-कहीं लोकतांत्रकि सद्धिांतों (Democratic Principles) में थोड़ा सा हनन इसलयिे होगा क्योंकउिसके मन में यह वचिार अवश्य आएगा ककिेंद्र में एक पार्टी के लयिे वोट डालना है तो राज्य में भी उसी पार्टी को वोट करना है| शायद कहीं-न-कहीं उसका मंतव्य इस तरह का होगा|
- हमारे देश में संवधिान तथा संवैधानकि प्रावधान सर्वोपरहिैं| रूल ऑफ लॉ से कुछ भी बड़ा नहीं है| आज पूरे देश में यदएिक साथ चुनाव कराना है तो संवधिान में संशोधन करना पड़ेगा और इसके लयिे सभी दलों का सहयोग प्राप्त करना होगा| क्या आज की तारीख में यह संभव है?
- क्या ऐसा संवैधानकि प्रावधान संभव है कविधिानसभा को जल्द ही भंग कर दयिा जाए| कई वधिानसभाएँ इसके लयिे तैयार नहीं होंगी| ऐसी स्थतिमिें क्या वर्तमान में कोई राजनीतकि दल वधिानसभा भंग करने को तैयार होगा जसिको जनता ने पाँच साल के लयिे चुना है|
- यदविधिानसभा को भंग करना है तो उसके लयिे कानूनी प्रावधान का होना आवश्यक होगा| साथ ही, स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ेगी|
- यह सही है कएिक साथ चुनाव कराने से सरकारी राजस्व और समय की बचत होगी, पालसिी मेकगि प्रक्रयिा प्रभावति नहीं होगी| अमूमन देखा जाता है कजिब चुनाव का समय नज़दीक आता है तो सरकार में मंत्रीगण काफी व्यस्त हो जाते हैं जसिसे नीतयिाँ प्रभावति होती हैं, चुनाव आचार संहतिा लागू होने से वकिास कार्य नहीं हो पाते| हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है साथ ही लोकतांत्रकि सद्धिांतों को भी देखना है|

क्या एक साथ चुनाव कराना लोकतांत्रकि मूल्यों के साथ समझौता नहीं होगा?

- चुनावी खर्च बचाने की जो बात हो रही है क्या वह मूलभूत प्रजातांत्रकि सद्धिांतों से ऊपर है? यदएिक साथ चुनाव होते हैं तो इन सद्धिांतों से समझौता करना होगा| यह एक बहुत बड़ा वषिय है| इस पर अवश्य वचिार होना चाहयिे|
- चुनाव आयोग द्वारा इस पर पहले ही वचिार-वमिर्श कयिा जा चुका है| इस पर राजनीतकि दलों के वचिार भी आ चुके हैं| इस वषिय पर अन्य वशिषज्ञों के वचिारों को लेकर वधिआयोग यदएिक समेकति रपिोर्ट देता है तो इसका संभावति हल तलाशा जा सकता है लेकनि इसके लयिे संवैधानकि प्रावधान करने होंगे जो कअिभी तक नहीं कयिे गए हैं|

क्या भारत जैसे लोकतंत्र में एक देश-एक चुनाव व्यावहारकि हो सकता है?

- एक देश एक चुनाव को लेकर लोग कई देशों से तुलना कर रहे हैं| भारतीय लोकतंत्र में क्या यह मुश्कलि नहीं होगा? शुरू में जो चुनाव हुए हैं वे इसलयिे एक साथ हो पाए क्योंकचिुनाव बाद कोई सरकार गरिी नहीं| बाद में यह क्रम टूट गया और यह समस्या पैदा हुई कएिक साथ चुनाव कैसे कराए जाएँ| इसकी जड़ में सरकार का संसदीय स्वरूप (parliamentary form of government) है|
- जहाँ तक वदिशों की बात है, खासकर अमेरकिा के मामले में वहाँ के कानून में ही यह प्रावधान कयिा गया है कहिर चार साल बाद नवंबर के पहले मंगलवार को चुनाव होगा| इसकी वज़ह यह है कविहाँ सरकारों के साथ कार्यपालकिा और न्यायपालकिा दोनों का कोई रश्तिा नहीं है| वहाँ कार्यपालकिा की सारी शक्तरिाष्ट्रपतयिा गवर्नर में नहिति है|
- वहाँ की कार्यपालकिा सदन के प्रतजिवाबदेह नहीं होती जबकभिारत में कार्यपालकिा नम्नि सदन के प्रतजिवाबदेह होती है| यदभिारत के संवधिान में संशोधन कर सरकार के संसदीय स्वरूप को बदलकर प्रेसीडेंसयिल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कयिा जाता है तो इस समस्या का समाधान मुमकनि हो सकता है|
- असली समस्या सरकार का संसदीय स्वरूप है| हमें या तो इसे बदलना होगा या लोकसभा के कार्यकाल को तय करना होगा कविह पाँच साल से पहले भंग नहीं होगी और यदकिसिी वज़ह से सरकार गरि जाती है तो प्रमुख पहले, दूसरे तथा तीसरे दल को वकिल्प के रूप में मौका देना होगा कविह सरकार बनाने का दावा पेश करे| अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यह प्रावधान करना होगा कसिदन ही अपना नेता चुन ले और जसिे सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हों उसे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दयिा जाए|
- लेकनि इन मुद्दों पर बहस होनी चाहयिे| यह तभी संभव है जब संवधिान में संशोधन कर लोकसभा या वधिानसभा का कार्यकाल तय कयिा जाए|

नष्किर्ष

एक साथ चुनाव कराने का वचिार प्रथम दृष्टया अच्छा प्रतीत होता है पर यह व्यावहारकि है या नहीं, इस पर वशिषज्ञों की अलग-अलग राय है। बार-बार होने वाले चुनावों के कारण एक सुव्यवस्थति और स्थायत्वि वाली सरकार की ज़रूरत महसूस होती है। लेकनि इसके लयिे सबसे ज़रूरी है सभी राजनीतकि दलों के बीच

आम सहमति का होना और यह कार्य बेहद मुश्किल प्रतीत होता है। संविधान के अनुच्छेद 83 (संसद का कार्यकाल), अनुच्छेद 85 (संसदीय सत्र के स्थगन और समापन), अनुच्छेद 172 (विधानसभा का कार्यकाल) और अनुच्छेद 174 (विधानसभा सत्र को स्थगित करना और समापन करना) में संशोधन करना होगा। इसके बाद संविधान संशोधन के लिये दो-तिहाई बहुमत की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आम सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। अतः अन्य व्यवहार्य विकल्पों पर गौर करने की ज़रूरत है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/one-country-one-election

दृष्टि The Vision